संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक आईडीएसपी / 2020 / 391 भोपाल, दिनांक 08.04.2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स
2. समस्त अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज
3. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
6. अधीक्षक, गैस राहत अस्पताल

   मध्यप्रदेश

विषय– कार्यालय तथा जन स्थानों को कोविड–19 के संदर्भ में डिस्इनफेक्शन हेतु दिशा निर्देश

संदर्भ– 1. संचालनालय का पत्र कमांक एनएचएम / क्यू.ए. / 2020 / 5975 दिनांक 28.03.2020

2. म.प्र. शासन का पत्र कमांक 169 / मु.स. / 2020 दिनांक 19.03.2020

उपरोक्त संदर्भित पत्रो के माध्यम से कोविड–19 के संक्रमण से रोकथाम हेतु डिस्इनफेक्शन के दिशा निर्देश जारी किये गये थे जिसमे पर्यावरण सफाई / डिस्इनफेक्शन के निर्देश भी समाहित थे। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी डिस्इनफेक्शन दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही भी किया जाना सुनिश्चित करें–

1/ इनडोर एरिया एवं कार्यालयों का डिस्इनफेक्शन

1. समस्त कार्यालय कांफ्रेस रूम सहित दिन में एक बार सुबह अथवा शाम को साफ किया जाए तथा टेबल अथवा कुर्सियों को साबुन एवं पानी से डिस्इनफेक्ट किया जाए।
2. डिस्इनफेक्ट करने वाले सफाई कर्मचारी को डिस्पोजेबल रबर के जुते एवं हेवी ड्यूटी ग्लवज तथा ट्रिपल लेयर मास्क प्रदान किया जाए।
   - कार्यालय मे सफाई, साफ स्थानों से प्रारंभ की जाए तथा बाद में तुलनात्मक रूप से गंदे स्थानों की सफाई की जाए।
   - प्रवेश लॉबी, सीढियां, लिफ्ट, कोरिडोरस, एसकेलेटर, सिक्युरिटी गार्ड बुथ, मीटिंग रूम, कैफे टेरिया / पेन्ट्री की मॉपिंग 1 प्रतिशत हाइपोक्लोरोइट साल्यूशन से की जाए।
   - 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरोइट बनाने की विधि, मास्क के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश एवं हाथ धोने की विधि पूर्व में संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रेषित की गई है।
   - जो सतह अधिक संपर्क में आती है जैसे–लिफ्ट बटन, सीढियों की रैलिंग, हेण्डलस, स्वीचेज, इंटरकॉम सिस्टम, टेलीफोन, प्रिंटर, स्केनर, फोटोकॉपी मशीन, आर.ओ. आदि को दिन में दो बार सूती कपडे को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरोइट साल्यूशन में भिगोकर साफ किया जाए। इसके अतिरिक्त टेबल, चेयर के हेण्डलस, पेन, डायरी, की बोर्ड, माउस, माउस पैड, टी / काफी की डिस्पेंसिंग मशीन 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरोइट साल्यूशन से साफ की जाए।
   - मेटल सतहों जैसे–चाबियां, डोर के हेन्डलस आदि को 70 प्रतिशत अल्कोहल से साफ किया जाए।
   - हेण्ड सेनेटाइजिंग स्टेशन –प्रत्येक कार्यालय के प्रवेश पर जहां अधिक आवागमन है एवं कांटेक्ट सतहे है वहां हेंन्ड सेनेटाईजर स्टेशन बनाए जाए।
   - सफाईकर्मी द्वारा पहने हुए हेवी ड्यूटी ग्लवज, मास्क एवं डिस्पोजेबल जूते को पीले बिन में निष्पादित कर साबुन से हाथ धोएं जाए।
   - कार्यालय में काम करने वाले समस्त कर्मचारी अपनी टेबल काम शुरू करने से पहले 70 प्रतिशत अल्कोहल से साफ करें एवं दूर–दूर बैठे।

Scanned with CamScanner

2/ आउटडोर क्षेत्र – इन क्षेत्रों में संक्रमण की संभावना कम होती है क्योंकि यहां पर खुली हवा तथा धूप आती है अतः इन स्थानों में रेलिंग, लिफ्ट, एसकेलेटर, फ्लोर आदि को इनडोर क्षेत्र हेतु दिये गये प्रोटोकॉल डिस्इनफेक्ट किया जाए।

3/ पब्लिक टायलेट–

- सफाईकर्मी द्वारा पब्लिक टायलेट हेतु पृथक से मॉप, नायलॉन स्क्रबर का उपयोग किया जाए।
- टायलेट पाट एवं कमोड को 1 प्रतिशत हाईपोक्लोराईट/डिटर्जेंट पाउडर से साफ किया जाए।
- लिड एवं कमोड को नायलॅन स्क्रबर से अंदर एवं बाहर साबुन के पाउडर से साफ किया जाए एवं उसके पश्चात 1 प्रतिशत सोडियम क्लोराईट से पोंछा जाए।
- टायलेट फ्लोर को स्क्रबिंग ब्रश से पानी एवं 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराईट सॉल्युशन से साफ किया जाए।

सिंक– नायलॉन स्क्रबर से स्क्रब करके डिटर्जेंट पाउडर से साफ कर उसे 1 प्रतिशत सोडियम हाइपालोक्लारोइट सॉल्युशन से वाइप किया जाए।

नहाने का स्थान, नल इत्यादि– फ्लोर एवं टाईल्स को गरम पानी एवं डिटर्जेंट से स्क्रब करें तथा नल एवं फीटिंग को सूती कपडे एवं डिटर्जेंट से पोंछे। साबुनदानी को भी पानी एवं डिटजेंट पाउडर से प्रतिदिन साफ किया जाए।

मेटल की सतह को 70 प्रतिशत (क्लोरोजाइनॉल अथवा बेंजाएलकोनियम क्लोराईट अल्कोहल) से साफ किया जाए। हाईपोक्लोराईट सॉल्युशन प्रतिदिन ताजा बनाया जाए। अत्यधिक संक्रमण क्षेत्र पर डिस्इनफेक्टेड स्प्रे का उपयोग न करें जिससे अधिक संक्रमण का खतरा रहता है। कपडा एवं पोंछा के उपयोग के बाद उनको एक बंद बैग में डिस्कार्ड किया जाए। प्रत्येक स्थान को साफ करने हेतु पृथक पृथक कपडे उपयोग में लाए जाए।

समस्त क्लीनिंग उपकरणों को इस्तेमाल उपरांत धोकर रखा जाए तथा बाल्टियों को ब्लीच साल्युशन या गरम पानी से साफ करें।

4/ सफाईकर्मी हेतु पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्युपमेंट

- सफाईकर्मी द्वारा डिस्इनफेक्शन एवं साफ सफाई करने में डिस्पोजेबल रबर के जुते, ग्लवज, हेवी डयूटी ग्लवज एवं ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग किया जाए।
- साफ सफाई का कार्य होने के पश्चात इनका निष्पादन किया जाए तथा तत्पश्चात हाथ साबुन एवं पानी से ठीक प्रकार से साफ किये जाए।

समस्त जिलाध्यक्षों से अनुरोध है कि पूर्व में जारी संलग्न दिशा निर्देशों एवं उपरोक्त दिशा निर्देशों का जिले के समस्त निजी अथवा शासकीय कार्यालयों एवं जन स्थानों पर उपयोग सुनिश्चित कराएं।

Faiz Kidwai 19/4/20
(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

Scanned with CamScanner